<u>दांडिक प्रकरण क्रमांकः 597/2022, अभियोजन साक्षीः डिम्विप्पा सिंह चौहान (अ.सा. 02)</u>
<u>दिनांकः 17.10.2023</u>

<u>साक्ष्य प्रारंभ – 12:45 बजे</u>
<u>मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ.</u>

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण दिनेश सिंह चौहान एवं आरोपी रतिकांत चौहान को पहचानता हूं। आरोपीगण मेरे भाई है। घटना 16 अक्टूबर 2022 की समय लगभग रात्रि 07:15 बजे की है। घटना दिनांक को मैं ग्राम मुसवाडीह से साजा अण्डा लेने के लिये आ रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी एवं मेरी बेटी थी। अचानक कबीरकुटी के पास मेरा छोटा भाई दिनेश ने मोटर सायकल को रोका एवं हमलोगों को मॉ बहन की अश्लील गाली गलौच दिया। फिर मेरी पत्नी अन्नपूर्णा चौहान गाड़ी से उतरी। फिर दिनेश अपने भाई रतिकांत चौहान को फोन करके बुला लिया और गंदी हरकत करने लगा। फिर दोनों आरोपीगण मिलकर मेरी पत्नी से गंदी–गंदी हरकत करने लगे और मेरी पत्नी की कुर्ती भी फट गया था और बटन भी टूट गया था। फिर मेरी पत्नी ने मेरे बेटे के दोस्तों को फोन की तो मेरे बेटे के दोस्त लोग घटना स्थल पर आये और आरोपीगण वहां से भाग निकले।

02. थोड़ी देर बाद मेरा बेटा घटना स्थल पर आया तो आरोपीगण मेरे बेटे को सामने वाली चौक के पास रोक लिये थे। पुलिस वाले पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

<u>–:: प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एच.एस.क्षत्रीय द्वारा आरोपीगण ::–</u>

03. यह कहना सही है कि मैं अपने भाईयों दिनेश सिंह चौहान एवं रतिकांत चौहान से अलग रहता हूं। मैं ग्राम मुसवाडीह के मकान में रहता हूं एवं मेरे भाई दिनेश एवं रतिकांत वार्ड नं. 02 साजा में स्थित मकान में रहते है। मैं 2003 से अपने भाईयों से अलग हो गया हूं। मेरे पिता का नाम स्व. रामकुमार चौहान है। मेरी पिता की मृत्यु सन् 2008 में हुई है। यह कहना सही है कि मेरे पिता रामकुमार चौहान जीवित थे तब से मैं अपने भाईयों से अलग हो गया हूं। वार्ड नं. 02 में स्थित मकान में से एक मकान मेरे पिता जी के समय से बना है जिसे पिता जी ने बनवाया है। दूसरा मकान जो पक्का मकान है उसे मेरे भाई लोगों ने बनाया है। यह कहना सही है कि मेरे भाई लोग मकान बनाकर उसमें रहते है। उक्त दर्शित मेरे भाई लोगों का मकान का खसरा नंबर आज मुझे याद नहीं है।

04. मेरे भाई लोगों का मकान एवं खाली जगह लगभग 17.5 डिसमिल जगह है एवं उक्त जमीन लगानी है जो डाईवर्टेड जमीन है। मेरे अलावा मेरे कुल 3 और भाई है जिसमें से एक भाई का नाम हरीश चौहान है। उक्त वर्णित भूमि और मकान में मेरे भाई रतिकांत और दिनेश रहते है। मेरा भाई हरीश चौहान भोपाल में रहता है। मेरी मॉ का नाम सरस्वती बाई है जो मेरे भाई हरीश के साथ रहती है। उक्त मेरे भाई लोगों का भूमि और मकान मेरे नाम पर है। हमलोगों का पैतृक ग्राम जेवरा तहसील थानखम्हरिया है। यह कहना गलत है कि ग्राम साजा स्थित वर्णित भूमि को मेरे पिता रामकुमार चौहान ने खरीदा है। मैं कोई शासकीय सेवक में नहीं हूं। अभी वर्तमान में मेरा रोजगार मोटर वाईडिंग का है। साजा स्थित मेरे भाईलोग जहां रहते है उस जमीन को वर्ष 1995 में मेरे द्वारा खरीदा गया था।

05. यह कहना गलत है कि जिस समय साजा वाली जमीन को खरीदा गया था उस समय मैं अध्ययनरत था। यह कहना गलत है कि उस समय मेरे आय के कोई साधन नहीं थे एवं मैं अपने पिता के उपर आश्रित था। यह कहना सही है कि साजा में जमीन और मकान को खरीदा गया था उस समय हमलोग संयुक्त परिवार में थे। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान में मेरे भाई दिनेश एवं रतिकांत ने मिलकर मेरी पत्नी के साथ गंदी हरकत करने लगे यह बात का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान में मेरी पत्नी का कुर्ती फटने वाली बात का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने घटना स्थल से बटन की

जप्ती नहीं बनाया है। यह कहना सही है कि जिस कुर्ती का बटन टूटा उसकी जप्ती नहीं बनाये थे।

06. यह कहना सही है कि हमलोगों ने भी संबंधित कुर्ती को जप्त नहीं करवाया है। यह कहना सही है कि मैंने उपर यह नहीं बताया है कि मेरी पत्नी ने मेरे बेटे के किन दोस्तों को फोन किया था और यह भी नहीं बताया कि फोन करने से कौन–कौन मेरे बेटे के दोस्त घटना स्थल पर आये थे। मैंने उपर अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने मेरे पुत्र आदित्य को भी रोक लिये थे। यह कहना सही है कि यह बात मैंने अपने पुलिस बयान में नहीं बताया था। जिस चौक में मेरे पुत्र को रोकने वाली बात आज मैं बताया हूं वह घटना स्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। यह कहना सही है कि मेरे बेटे को आरोपीगण के द्वारा रोकते हुए मैं, मेरी पत्नी एवं मेरी बेटी आंचल चौहान ने नहीं देखा है।

07. मैं पालिटेक्नीक परीक्षा उत्तीर्ण हूं। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे भाई रतिकांत एवं दिनेश ने पत्रिका दैनिक समाचार पत्र में एक आम सूचना पत्र प्रकाशित कराये थे कि ग्राम साजा वार्ड नं. 02 स्थत शीतला मंदिर के पास स्थित मकान एवं भूमि खसरा नंबर 1688 एवं 1689 एवं रकबा 0.03, 0.02 हे. भूमि को मेरे द्वारा अंतरण, व्ययन, दान विक्रय इत्यादि ना करने के आशय से प्रकाशित करवाये थे। यह कहना सही है कि उक्त वर्णित खसरा नंबर की भूमि में मेरे भाई एवं परिवार के लोग निवास करते है। यह कहना सही है कि उक्त आम सूचना के प्रकाशन के बाद मैंने मेरे भाईयों के मकान एवं भूमि का दानपत्र मेरी पत्नी अन्नपूर्णा चौहान के नाम पर कराया था।

08. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा निष्पादित दानपत्र और दानपत्र के आधार पर नामांतरण पत्र किसी प्रकार आपत्ति दावा ना कर सके इस आशय से मैंने तथा मेरी पत्नी ने मिलकर आरोपीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। यह कहना सही है कि उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार, अपर कलेक्टर एवं आयुक्त दुर्ग के समक्ष मामला विचाराधीन है। यह कहना सही है कि मेरे भाईयों के द्वारा पूर्व में किसी प्रकार से मेरे तथा मेरे परिवार के लोगों के साथ दुव्यवहार या आपराधिक कृत्य नहीं किया है। यह कहना सही है कि हमलोग अपने पूरे परिवार के साथ पूर्व की तरह साजा एवं बाजार इत्यादि स्थलों पर सामान्य रूप से आना जाना करते है। यह कहना सही है कि रोकटोक किये जाने के समय घटना स्थल पर रतिकांत मौजूद नहीं था। स्वतः कहा कि 1–डेढ़ मिनट बाद रतिकांत वहां आ गया था। यह कहना गलत है कि आरोपीगण के मकान एवं भूमि को हड़पने की नियत से हमारे द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराये है।

09. यह कहना गलत है कि मेरी पत्नी ने आरोपीगण के घर में जाकर अपनी सास सरस्वती बाई के साथ गाली गलौच एवं मारपीट किये थे। यह कहना गलत है कि अपने साथ तीन–चार लड़को को लेकर सास के घर गये थे। मुझे जानकारी नहीं है कि सरस्वती बाई ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना साजा में किये है।

गवाह को पढ़कर सुनाये जाने पर सही होना स्वीकार किया।

मेरे निदेशन पर टंकित

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

साक्षी हस्ताक्षर

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

साक्ष्य समाप्त :– 01:30 बजे